



## बाल संरक्षण हेतु WHO की खाद्य वपिणन अनुशंसाएँ

### प्रलिस के लयि:

वशिव सवासथय संगठन, बाल अधकारिों पर अभसिमय, HFSS खाद्य पदारथ

### मेन्स के लयि:

बच्चों पर खाद्य वपिणन का प्रभाव, बच्चों से संबधति मुददे

## चरचा में क्योँ?

हाल ही में [वशिव सवासथय संगठन \(WHO\)](#) ने बच्चों को असवासथयकर आहार वकिल्पोँ को बढावा देने वाले खाद्य वपिणन के हानकारक प्रभावों से बचाने के लयि सभी देशों को नीतयिों बनाने में सहायता करने के लयि नए दशिया-नरिदेश जारी कयि हैं ।

- ये दशिया-नरिदेश सभी उमर के बच्चों के लयि **संतूपत फैटी एसडि, उच्च टरांस-फैटी एसडि, शर्करा और नमक (HFSS)** आदि से युक्त **खाद्य पदारथों और गैर-अलकोहल पेय पदारथों के वपिणन को प्रतबिंधति** करने हेतु अनविर्य नीतयिों के कारयानवयन की सफिरशि करते हैं ।
- ये दशिया-नरिदेश वर्ष 2010 में जारी WHO के **'बच्चों के लयि खाद्य पदारथों और गैर-अलकोहल पेय पदारथों के वपिणन पर सफिरशि'** पर बनाए गए हैं ।

## बच्चों को खाद्य वपिणन से बचाने हेतु नीतगित सफिरशि:

- अनुशंसाएँ:
  - व्यापक अनविर्य नीतयिों:
    - बच्चों की सुरक्षा के लयि **HFSS खाद्य पदारथों और गैर-अलकोहल पेय पदारथों के वपिणन को प्रतबिंधति** करना
    - सभी देशों की नीतयिों को **टीवी, रेडयो, प्रटि, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडयो, मोबाइल डविडिस, गेम, स्कूल, सार्वजनिक स्थान और पाइंट-ऑफ-सेल** सहति वभिन्न वपिणन चैनलों एवं अन्य माध्यमों को कवर करने वाले HFSS खाद्य पदारथों के वजिजापनों को प्रतबिंधति करना चाहयि ।
  - आयु सीमा:
    - बाल अधकारिों पर कनवेंशन** के अनुरूप सुरक्षा के लयि आयु सीमा 18 वर्ष तक होनी चाहयि ।
  - देश के संदरभ में पोषक तत्त्व प्रोफाइल:
    - देश के संदरभ में **अनुकूलति वैज्जानिक मानदंडों** के आधार पर HFSS खाद्य पदारथों और पेय पदारथों को परभिषति करने के लयि एक पोषक तत्त्व प्रोफाइल मॉडल का उपयोग कयिा जाना चाहयि ।
    - दशिया-नरिदेश नीतयिों बनाते समय देश के संदरभ पर वचिर करने के महत्त्व पर ज़ोर देते हैं, जसिमें **पोषण स्थति, सांस्कृतिक संदरभ, स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदारथ, आहार संबंधी रीति-रिवाज, उपलब्ध संसाधन एवं क्षमताएँ, मौजूदा शासन संरचनाएँ और तंत्र** शामिल हैं ।
  - प्रेरक तकनीकें:
    - बच्चों को आकर्षति करने वाली प्रेरक तकनीकों, जैसे- **कार्टून, मशहूर हस्तयिों, खिलौने, खेल, छूट या मुफ्त उपहार** पर प्रतबिंध ।
    - नीतयिों की **नगिरानी, प्रवर्तन और मूल्यांकन** के लयि प्रभावी तंत्र आवश्यक है ।
  - हतिधारकों की भागीदारी:
    - नीतविकिस एवं कारयानवयन में प्रासंगिक हतिधारकों की भागीदारी, पारदर्शति सुनशिचति करना और हतिों के टकराव से बचना ।
- महत्त्व:
  - साक्ष्य-सूचति मार्गदर्शन:
    - नीत अनुशंसाएँ **बच्चों को हानकारक खाद्य वपिणन से बचाने के लयि साक्ष्य-सूचति मार्गदर्शन** प्रदान करती हैं ।
    - मज़बूत नयिमों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए **मौजूदा नीतयिों कमयिों और चुनौतयिों** का समाधान करती हैं ।
  - तत्काल काररवाई की आवश्यकता:

- अनुशंसाएँ बचपन में मोटापे और **गैर-संचारी रोगों** के बढ़ते बोझ के कारण कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रतिक्रिया देती हैं।
- बचपन में मोटापे की दर बढ़ने का अनुमान है, जो एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है।
- **दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव:**
  - बचपन में मोटापा, वयस्कता में मृत्यु दर में वृद्धि से जुड़ा है।
  - प्रभावी नीतियों को लागू करने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- **बच्चों के अधिकारों की रक्षा:**
  - अनुशंसाएँ बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देती हैं, उनके स्वास्थ्य और पर्याप्त भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करती हैं।
  - हानिकारक विपणन प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों से बच्चों को लाभ होता है।

## बच्चों पर खाद्य विपणन के हानिकारक प्रभाव:

- खाद्य विपणन बच्चों के भोजन के प्रति दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं और उपभोग को प्रभावित करने के लिये प्रेरक तकनीकों का उपयोग करता है।
- HFSS खाद्य पदार्थ (संतृप्त फैटी एसिड, ट्रांस-फैटी एसिड, मुक्त शर्करा और नमक) खाद्य विपणन का केंद्र बिंदु है जो मोटापे, मधुमेह, हृदय रोगों और दंत क्षय के बढ़ते जोखिम से जुड़े हैं।
- खाद्य विपणन स्वस्थ विकल्पों की तुलना में अस्वास्थ्यकर विकल्पों को बढ़ावा देकर बच्चों के भोजन को प्रभावित करता है। यह उपभोग कथि जाने वाले HFSS खाद्य पदार्थों की आवृत्ति और मात्रा को भी बढ़ाता है।
- खाद्य विपणन फलों और सब्जियों जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खपत को वसिथापित करता है और स्वस्थ भोजन पर माता-पिता के प्रभाव को कमजोर करता है।
- खाद्य विपणन बच्चों को HFSS खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभों के बारे में गुमराह कर सकता है। यह बच्चों के भोजन विकल्पों को प्रभावित करने के लिये भावनात्मक अपील, साथियों के दबाव या सेलब्रिटी समर्थन का फायदा उठाता है।

## बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC):

- यह वर्ष 1989 में **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा अपनाई गई एक संधि है।
- यह 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चे के रूप में मान्यता देता है।
- यह प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या क्षमता कुछ भी हो।
- इसमें शिक्षा का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, बलात्कार और यौन शोषण के विरुद्ध सहित मानसिक या शारीरिक दुरुव्यवहार से सुरक्षा का अधिकार, जीवन और विकास का अधिकार जैसे अधिकार समाहित हैं।
- यह विश्व की सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मानवाधिकार संधि है।
- भारत ने वर्ष 1992 में UNCRC का अनुमोदन किया और घरेलू कानूनों, नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से इसके सिद्धांतों तथा प्रावधानों को लागू करने के लिये प्रतबिद्ध है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

### प्रलिस:

प्रश्न. बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिर कीजयि: (2010)

1. वकिस का अधिकार
2. अभवियक्तिका अधिकार
3. मनोरंजन का अधिकार

उपर्युक्त अधिकारों में से कौन-सा/से बच्चों से संबंधित है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

व्याख्या:

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनसिफ) की स्थापना करके बाल अधिकारों के महत्त्व को घोषित करने की दिशा में अपना पहला कदम उठाया। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया, जिससे यह बच्चों की सुरक्षा की आवश्यकता को चिह्नित करने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ बन गया।
- बाल अधिकारों पर विशेष रूप से केंद्रित संयुक्त राष्ट्र का पहला दस्तावेज़ बाल अधिकारों की घोषणा था, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ होने के बजाय यह सरकारों के लिये आचरण का नैतिक मार्गदर्शक की तरह था।
- यह अभिसमय, जो 2 सितंबर, 1990 को लागू हुआ, में जीवन के अधिकार, विकास के अधिकार, खेल और मनोरंजक गतिविधियों में संलग्न होने के अधिकार, सुरक्षा के अधिकार, भागीदारी के अधिकार, अभिव्यक्ति सहित बाल अधिकारों की विभिन्न श्रेणियों को शामिल करते हुए 54 अनुच्छेद शामिल हैं। अतः 1, 2 और 3 सही हैं।

अतः विकल्प D सही उत्तर है।

**??????:**

प्रश्न. राष्ट्रीय बाल नीतिके मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके कार्यान्वयन की प्रस्थितिपर प्रकाश डालिये। (2016)

**स्रोत: डाउन टू अर्थ**

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/who-s-food-marketing-recommendations-for-child-protection>

